



2026:AHC: 2822

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 19647 वर्ष 2025

सत्य प्रकाश, होमगार्ड

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	आदित्य प्रकाश वर्मा, अंकेश्वर मिश्रा, रंजना वर्मा, शैलेश वर्मा
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेश वर्मा और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें वर्ष 1989 में होमगार्ड के रूप में नियुक्त किया गया था, हालांकि, आईपीसी की धारा 147, 148, 307, 353, 332, 283 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 2/3 एवं आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1932 की धारा 07 के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 106 वर्ष 2023 के कारण, प्रतिवादी संख्या 3, जिला कमांडेंट होमगार्ड, शाहजहाँपुर द्वारा 09.09.2025 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता को कर्तव्यों के पालन से रोक दिया गया और उन्हें कारण बताने का निर्देश दिया गया।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होना, प्रतिवादी को कर्तव्यों के पालन से रोकने का आधार नहीं हो सकता। उनका तर्क है कि इस कार्यवाही का पूरा आधार 18.08.2023 के शासनादेश की धारा 5 से 8 है, और जिसे रिट-ए संख्या 16186 वर्ष 2024 (महेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य), निर्णय दिनांक 26.09.2025 में अधिकार-बाह्य घोषित किया जा चुका है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि इस मामले पर प्रतिवादी संख्या 3, जिला कमांडेंट होमगार्ड, शाहजहाँपुर द्वारा पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

5. विरोधी पक्षों के तर्कों और उनके द्वारा लिए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका को इस स्वतंत्रता के साथ **निस्तारित** किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करे; जिसे 16.01.2026 तक प्राप्त होने पर, प्रतिवादी संख्या 3 उपरोक्त 'महेश सिंह' (पूर्व उद्धृत) के निर्णय को ध्यान में रखते हुए मामले पर पुनर्विचार करेंगे।

6. यह उल्लेख करना आवश्यक है कि रिट याचिका का निर्णय प्रतिवादियों से कोई जवाब मांगे बिना किया गया है। अतः, इस आदेश के पारित होने का अर्थ यह न निकाला जाए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त किया है।

7. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

8. आज दाखिल किए गए निर्देशों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है और परिशिष्ट-ए के रूप में अंकित किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

7 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति